कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, म0प्र0 शासन
पॉचवीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक 849/514/आउशि/शा–7/अनु0/09, भोपाल, दिनांक 23 /5/2009

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय,

मध्यप्रदेश ।

विषयः–अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अशैक्षणिक कर्मचारियों को पांचवा वेतनमान की राशि देने बावत् ।

संदर्भः–इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 378/301/आउशि/शा–7/अनु/08, दिनांक 5.3.09.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम लेख है कि अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अशैक्षणिक कर्मचारियों को पांचवा वेतनमान की राशि स्वीकृत की जानी है । इसके लिये म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश एफ–73/11/2008/38–3 दिनांक 13.4.09 में संशोधन किया गया है । पांचवें वेतनमान का लाभ 1.1.96 से 31.3.2000 तक ही मान्य किया गया है । इस अवधि में जो कर्मचारी पात्रता रखते है उनकी प्रथमतः सूची तैयार कर प्रत्येक का भुगतान योग्य राशि गणना पत्रक जो डियू ड्रान, डाबल की पद्धति पर आधारित हो । गणना करते समय किसी प्रकार की त्रुटि न हो इसका विशेष ध्यान रखा जावे ।

उक्त चाही गई जानकारी 25 मई,09 ~~के अन्त~~ तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । जानकारी के अभाव में आपके महाविद्यालय की राशि समावेश न होने की सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी । जानकारी निम्नानुसार प्रपत्र में दर्शायी जावे:–

स.क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पद	वर्तमान में दिया जा रहा वेतनमान	पांचवे वेतनमान मे देय राशि	दि.01.01.96 से 31.03.2000 तक देय राशि	कुल भुगतान योग्य राशि
1	2	3	4	5	6

संयुक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

मध्य प्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय
:: संशोधित आदेश ::

भोपाल,दिनांक 13/4/09

क्रमांक -- एफ -73/11/2008/38-3, राज्य शासन द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 27-12-2008 में बिन्दु क्रमांक-03 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है -

" पांचवें वेतनमान का लाभ 1-1-1996 से दिनांक 31-3-2000 तक देय होगा तत्पश्चात् माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं के निर्णय के अध्याधीन होगा । "

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.एस.परिहार)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक -73/11/2008/38-3, भोपाल,दिनांक 13/4/09
प्रतिलिपि:-

(1) प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल,
(2) महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर/ भोपाल ,
(3) आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल ,
(4) संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा म0प्र0 ग्वालियर ,
(5) समस्त अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा म0प्र0 ,
(6) समस्त प्राचार्य अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय म0प्र0,
(7) समस्त संबंधित कोषालय अधिकारी, म0प्र0,
(8) समस्त संबंधित शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय म0प्र0,

की ओर आगामी कार्यवाही हेतु ।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग